पीपुल्स समाचार, भोपाल
5 OCT 201[illegible]

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 4-10 अक्टूबर

मध्यप्रदेश में संरक्षण देख लौट आया खरमोर

घनश्याम सक्सेना

क्या मध्यप्रदेश में अब खरमोर पक्षी की वापसी हो गई है? इस सदी के प्रारंभ में पश्चिम मध्यप्रदेश के राजस्थान से लगे इलाकों से इसके गायब होने के क्या कारण थे? क्या वहां पक्षी अभयारण्य बनाने के प्रयास अनुपयुक्त और अनुत्पादक थे? इन सवालों के जवाब अब मिलने लगे हैं। ये जवाब जानने के पहले हम खरमोर पक्षी के बारे में जानें क्योंकि वह एक दुर्लभ पक्षी है।

जाने माने पक्षीविद् सालिम अली ने खरमोर यानी लैसर फ्लोरिकन को 'सोन चिड़िया' की बिरादरी का बताया है। प्राणीशास्त्र इसे साइफियोटाइडस इंडिका की संज्ञा देता है। मध्यप्रदेश में स्थानीय तौर पर इसे भटकुक्कड़ा या खड़ तीतर कहते हैं। नर पक्षी श्वेत श्याम होता है और मादा थोड़ी भूरी चितकबरी। इसके सिर पर पीछे की तरफ भंवर काले बालों की एक कलगी रहती है जो पक्षी को एक शाहाना अंदाज बख्शती है। मुर्गे के आकार के बावजूद यह पक्षी अपनी लंबी टांगों और लंबाकार गर्दन के कारण मुर्गे से अलग दिखता है। इसकी मादा, नर से थोड़ी बड़ी होती है। खेत और घासबीड़ें इस विलक्षण पक्षी का अस्थायी प्राकृतिक रहवास और प्रजनन- स्थल हैं। अचरज की बात यह है कि खरमोर वर्षा के प्रारंभ में ही दिखाई देता है। यही इसका प्रजनन काल है। अगस्त- सितम्बर तक अंडे और अक्टूबर तक बच्चे निकलने के बाद यह पक्षी एकदम गुम हो जाता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे प्रकट होता है और कहां चला जाता है। (1904-1986) के.एस. धर्मकुमार सिंह इस रहस्यमय पक्षी के बारे में लिखा है कि उन्होंने कई खरमोरों के पैरों में निशानदेही के छल्ले बांधे लेकिन वे पक्षी फिर कभी नहीं दिखे। मध्यप्रदेश के एक रिटायर्ड प्रधान मुख्य वन संरक्षक जे.जे. दत्त तथा एक रिटा. मुख्य वन संरक्षण पी.एम. लाड ने सालिम अली को उद्धृत करते हुए कहा था-'खरमोर के आवागमन के स्रोत चंद्रमा के उस चालीस प्रतिशत भाग की भांति रहस्यमय हैं जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता।'

इस पक्षी की एक विशेषता इसका प्रणय नृत्य भी है। स्मिथसोनियन संस्थान के पक्षीविद् डिलोन रिब्ले ने लिखा है- 'यह पक्षी अपने प्रणय नृत्य में पांच छह फुट ऊंची छलांगें लगाकर उछलता है। कामातुर नर पक्षी मादा को अपनी उपस्थिति बता कर रिझाने के लिए यह कलाबाजी करता है। इसकी यही उछल कूद इसके शिकारियों को इसका पता बता देती है अन्यथा यह घनी और ऊंची घास में छिपा रह सकता है।'

सन् 1980 में सालिम अली ने रतलाम जिले में इस पक्षी का अध्ययन करके इसके संरक्षण के लिए अभयारण्य की सिफारिश की और 1983 में सेलाना के 1296 हैक्टेयर क्षेत्र में इसके लिए अभयारण्य बनाया गया। यद्यपि दुर्लभ या अद्भुत प्रजाति के पशु पक्षियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की अवधारणा सर्वमान्य है किन्तु मध्यप्रदेश में करेरा और घाटीगांव में सोनचिड़िया तथा सैलाना में खरमोर के लिए जो अभयारण्य बनाए गए उनके प्रयास नितांत अनुत्पादक सिद्ध हुए। शायद इसका मुख्य कारण यह था कि ये संरक्षण क्षेत्र वहां बनाए गए जहां शासकीय भूमियां नहीं थीं। कृषि क्षेत्र थे। भूमिस्वामियों को उनकी जमीनें छिनने का संकट अनुभव होने लगा था और वे सोनचिड़िया और खरमोर के शत्रु बन गए थे। सोचचिड़िया तो लगभग खत्म हो गई और खरमोर इक्का दुक्का बचा। जब तक अभयारण्य नहीं बना था तब तक 1980 के पहले खरमोर रतलाम, धार, झाबुआ और मंदसौर जिलों में देखा जाता था। मैंने वन विभाग के अपने 32 साल के कार्यकाल में मात्र एक बार सैलाना में दो खरमोर 1981 में देखे थे। सन् 1960 में मैंने भोपाल के एक शिकारी के गोहरगंज तहसील के पिपलियागोली शिकार ब्लाक में अन्य वन्यप्राणियों के अतिरिक्त खरमोर का उल्लेख देखा था लेकिन उस शिकारी ने भी वहां कभी खरमोर नहीं देखा।

> मध्यप्रदेश में करेरा और घाटीगांव में सोनचिड़िया तथा सैलाना में खरमोर के लिए जो अभयारण्य बनाए गए उनके प्रयास नितांत अनुत्पादक सिद्ध हुए। शायद इसका मुख्य कारण यह था कि ये संरक्षण क्षेत्र वहां बनाए गए जहां शासकीय भूमियां नहीं थीं। कृषि क्षेत्र थे। भूमिस्वामियों को उनकी जमीनें छिनने का संकट अनुभव होने लगा था और वे सोनचिड़िया और खरमोर के शत्रु बन गए थे।

सोनचिड़िया के खात्मे के कारण करेरा अभयारण्य को डिनोरिफाइ करना पड़ा था। इससे सबक लेकर सरकार को अपनी संरक्षण- नीति बदलनी पड़ी। अब इस पक्षी को मारने पर सजा के बदले इसे बचाने पर इनाम की नीति बनाई गई। पश्चिमी मध्यप्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया गया कि उनकी जमीनों में खरमोर को संरक्षण देने का उद्देश्य उनसे भूमियां छीनना कतई नहीं है। याद रहे कि खरमोर केवल कृषि भूमियों और घासबीड़ों के इलाकों में ही आता है और ये सब निजी स्वामित्व के हैं।

अब खरमोर संरक्षण के लिए निजी भूमि स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच हजार रु. नकद दिया जाता है। यदि यह योजना ईमानदारी से कार्यान्वित हो तो जुलाई में खरमोर की प्रमाणित उपस्थिति बताई पर संबंधित भूमिस्वामी को एक हजार रु. नकद अग्रिम दिया जाता है। यदि इस पक्षी का प्रजनन केन्द्र वहां स्थापित होकर अंडे दे दिए जाते हैं और फिर अक्टूबर मास में बच्चे निकलने की प्रमाणित सूचना मिल जाती है तो संबंधित भूमि स्वामी को शेष चार हजार रु. की रकम भी दे दी जाती है। वन विभाग का कहना है कि खरमोर प्रोत्साहन योजना के सीमित मात्रा में अच्छे परिणाम आए हैं।

खरमोर की उपस्थिति के बारे में बताने में अभी भी लोग झिझकते हैं क्योंकि सरकारी योजनाओं में विश्वसनीयता का नितांत अभाव है। वन विभाग का कहना है कि फिलहाल सैलाना में खरमोर की वापसी के प्रमाण हैं क्योंकि 'वहां सन् 2006 के बाद तीस नर खरमोर देखे गए हैं।' नीमच और झाबुआ जिलों में भी इस पक्षी की उपस्थिति के समाचार मिले हैं। यदि खरमोर प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार हो, इसका कयानतदारी से कार्यान्वयन किया जाए और लोगों को सरकार की इस योजना में विश्वास जमे तो इस दुर्लभ पक्षी का इस क्षेत्र में निश्चय ही संरक्षण किया जा सकता है। किसानों को यदि यह योजना लाभप्रद लगे तो वहां घासबीड़ों का संरक्षण और विस्तार होगा जो कि खरमोर के प्राकृतिक प्रवास स्थल हैं। किसान आमतौर पर इसे पक्षी के आगमन को शुभ मानते हैं।

(लेखक वन विभाग में काम कर चुके हैं और वन्य जीवों से उनका विशेष अनुराग है।)